



## समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ...../2016 पुनरीक्षण

R 83-PB 214

01. दिनेन्द्र पाराशर  
आ. स्व.श्री बंशीधर पाराशर,  
निवासी-ई-5/135, अरेरा  
कालोनी, भोपाल म.प्र.

02. नरेन्द्र पाराशर आयु वयस्क,  
आ. स्व.श्री बंशीधर पाराशर,  
निवासी-ई-5/135, अरेरा  
कालोनी, भोपाल म.प्र.

..... प्रार्थीगण

### विरुद्ध

01. रमेशचन्द्र पाराशर  
आ.स्व. श्री मुरलीधर पाराशर,  
निवासी-ई-5/135, अरेरा  
कालोनी, भोपाल म.प्र.

02. महेश पाराशर  
आ. स्व.श्री मुरलीधर पाराशर  
निवासी- ग्राम बांईबीड़ी,  
तहसील नसरुल्लागंज,  
जिला सीहोर म.प्र.

.....

प्रतिप्रार्थीगण

श्री नरेश श्रीवास्तव  
अभि. व. म. भोपाल  
29/12/16 को प्रेषित  
[Signature]

[Signature]  
नीरज श्रीवास्तव  
एडवोकेट  
25, हरि निवास " दुर्गा चौक"  
तलैया, भोपाल

[Signature]

Noted  
23/11  
[Signature]

...2...

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.09.2016 न्यायालय  
कलेक्टर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 6/पुनःर्विलोकन/  
15-16 रमेश पाराशर आदि विरुद्ध म.प्र. शासन जिसके  
द्वारा अग्रिम रूप से पुनःर्विलोकन का अनुमति आदेश  
प्रार्थीगण की बिना नोटिस तथा सुनवाई के पारित किया।  
इसकी प्रथम बार जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 04.11.  
2016 को हुई। उक्त आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपि  
दिनांक 30.11.2016 को प्राप्त हुई।



R 83-ABR/17 मीपाल

2-3-2017

अनुमति

आवेदन की ओर से श्री निख  
श्रीकलम आम्बेकर एवं आवेदन की  
ओर से रमेश चंद्र पाठार आम्बेकर  
उपस्थित। यह निगामी कमेटर के  
आदेश क्रमांक 12.9.2016 के विरुद्ध प्रत्यु  
की गई है, जिसके द्वारा कमेटर ने पुनर्निर्माण  
की अनुमति दी गई है। कमेटर के आदेश  
के फल में अनुसूचित जाति द्वारा  
कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। अतः यह  
निगामी निर्णय को अग्रिम की  
जाती है।

(निगामी चक्र)

2/3

अध्यक्ष